दैनिक भास्कर जोधपुर
जोधपुर. शुक्रवार, 29 अक्टूबर 2010

भूमि कर के 5 करोड़ की वसूली पर रोक

जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट ने सब रजिस्ट्रार, गिरवा द्वारा एक कंपनी के विरुद्ध भूमि कर व लीज के रूप में 5 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली के लिए जारी आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने हिंदुस्तान जिंक की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए हैं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रमित मेहता ने तर्क दिया कि पूर्व में कंपनी के विरुद्ध सरकार की ओर से लगभग इसी तरह का आदेश जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने इस वर्ष 28 जनवरी को रोक लगाते हुए मामले का निस्तारण किया था कि भूमि कर के वसूली आदेश जारी करते समय राजस्थान वित्त अधिनियम 2006 के अनुसार डिमांड की गणना की जानी चाहिए। मेहता ने कहा कि इस बार भी सब रजिस्ट्रार ने वसूली आदेश जारी करते समय अधिनियम में वर्णित नियमों की अनदेखी की है, अन्यथा भूमि कर की राशि इतनी नहीं होती।